अनिवासी भारतीयों को रियायतें

930. **श्री सुन्दर सिंह भण्डारी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनिवासी भारतीयों को उनके द्वारा किए जाने वाले निवेशों के मामले में क्या-क्या रियायतें प्रदान की जाती हैं;

(ख) क्या इनमें से किसी रियायत को समाप्त किए जाने का विचार है, यदि हां, तो ऐसी रियायतों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं और सरकार ने उन सिफारिशों के आधार पर क्या निर्णय लिए हैं?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह): (क) अनिवासी भारतीयों को इस समय उपलब्ध कुछ निवेश योजनाएं इस प्रकार हैं:—

(i) औद्योगिक नीति 1991 के अनुबंध-III में उल्लिखित उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों, पुनः प्रवर्तनाधीन रुग्ण इकाईयों, आवास और स्थावर सम्पदा विकास कंपनियों आदि में निवेश की गई पूंजी और उस पर होने वाली आय की स्वदेश वापसी के पूर्ण लाभों सहित 100 प्रतिशत इक्विटी तक निवेश।

(ii) विनिर्माता कंपनियों के नए इश्यूओं / उनके द्वारा बाद में जारी किए गए इश्यूओं में स्वदेश वापसी के लाभों सहित 40 प्रतिशत निवेश।

(iii) सभी अनिवासी भारतीयों के लिए 24 प्रतिशत तक की सामूहिक उच्चतम सीमा सहित पोर्टफोलियो निवेश योजना के अन्तर्गत स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से निवेश।

(ख) और (ग) अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों की जांच-पड़ताल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित कार्यदल ने अपनी सिफारिशें मई, 1995 में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी हैं। सिफारिशों के अन्तर्गत उदारीकृत अर्थव्यवस्था में मौजूदा योजनाओं की संगतता के संदर्भ में उनका नवीनीकरण और अनुमोदनों की प्राप्ति में प्रक्रियाओं के सरलीकरण के प्रति उठाए जाने वाले कदम शामिल हैं। सरकार ने इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

Private power projects in Bihar

931. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Ministwer of POWER be pleased to state:

(a) the names of private power projects that have obtained all necessary clearances in Bihar; and

(b) by when these private power projects are likely to become operational?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHAMANBHAI PATEL): (a) As per the information received from the Government of Bihar, the following projects are proposed to be executed in the private sector in Bihar :

1. Jojobera TPS (3×67.5 MW) by M/s. Tata Electric Company and Mission Energy, USA;
2. Chandil TPS (2×250 MW) by M/s. RPG Enterprises.

None of the above projects have got all the clearances.

(b) The projects could become operational after obtaining all necessary clearances, achieving financial closure and completing construction of the project.

Bhadrawati Power Project

932. SHRI GHUFRAN AZAM:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRILA:
SHRMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Union Government have handed over a 1000 mega watt power project at Bhadrawati in Maharashtra to a private group of Bailadila;

(b) if so, whether the Union Government have violated the rules and the power project was given without the approval of the FIPB, CCEA and CEA;

(c) if so, the details thereof; and

(d) what further steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) No, Sir.

(b) to (d): Do not arise.

काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था

933. **श्री सोमपाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1995 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने हाल ही में काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था के संबंध में कोई व्यापक अध्ययन अथवा मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस विकराल समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह): (क) तथा (ख) माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित और 12.7.1995 को "दि इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आया है। परन्तु सरकार ने काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था के बारे में हाल में कोई अध्ययन या मूल्यांकन नहीं किया है।

काले धन के उत्पन्न होने और उसकी वृद्धि को रोकने के लिए सरकार समय-समय पर आवश्यक कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय करती आ रही है। कराधान की दर को उत्तरोत्तर कम कर दिया गया है और आय स्तरों को उत्तरोत्तर युक्तिपूर्ण बनाया गया है। इसके साथ ही साथ आयकर अधिनियम, 1961 में अनेक ऐसे उपबंध हैं, जिनका उद्देश्य समानान्तर अर्थव्यवस्था को कम करना है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 44-कक और 44-कख के अधीन उचित मामलों में लेखों की लेखा-परीक्षा और उन्हें अनिवार्य रूप से रखने, धारा 40क (3), 269-धध और 269-न के अधीन नकद लेन-देनों पर प्रतिबंध, अध्याय XX-ग के अधीन सम्पत्तियों की पूर्व क्रयाधिकार खरीद से संबंधित उपबंध और कर न देने वालों को दंडित करने के लिए जुर्माने और अभियोजनों संबंधी उपबंध शामिल हैं। यह अधिनियम कर अपवंचन का पता लगाने के लिए सर्वेक्षणों, तलाशियों और दूसरी जांचों को करने के लिए भी शक्ति प्रदान करता है। उचित मामलों में इन उपबंधों का सहारा लिया जाता है।

टी० वी० टावरों की स्थापना

934. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा इस वर्ष देश भर में कुल कितने एल० पी० टी०/वी० एल० पी० टी० स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) 15 जुलाई तक किन-किन स्थानों पर नए टी० वी० टावर स्थापित किए गए या स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ग) उपरोक्त टावरों के अलावा इस वर्ष के अंत तक कितने टी० वी० टावर स्थापित किए जायेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दूरदर्शन 133 अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर तथा 100 अति अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रयास कर रहा है बशर्ते संसाधन, अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों तथा उपकरणों की समय पर आपूर्ति हो।

(ख) और (ग) उन स्थानों के नाम जहां टी० वी० ट्रांसमीटिंग टावर अर्थात् उच्चशक्ति ट्रांसमीटर अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और ट्रांसपोजर 1.4.1995 तथा 15.7.1995 के बीच चालू किए गए थे तथा वे स्थल जहां ऐसे टावर इस वर्ष पूरा करने के लिए लक्षित हैं तथा जो कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं, क्रमशः विवरण I तथा II में दर्शाए गए हैं।